

**निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय )**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मोहरबंद निविदाएँ सिविल कार्यों हेतु परियोजना संचालक (PIU) म.प्र.लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 01.08.2014 को जारी एवं पाईप लाईन कार्य हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के एकीकृत एस.ओ.आर. (वालयुम-1) दिनांक 10-मई 2012 से जारी तथा निविदा सूचना जारी होने की दिनांक तक संशोधित दर निविदा प्रपत्र "ए" में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड देवास के कार्यालय में दिनांक 19.03.2015 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 3:30 बजे खोली जायेगी। कोरे निविदा प्रपत्र म.प्र. लोक निर्माण विभाग भोपाल में केन्द्रीय कृत ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के अंतर्गत "सी" अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों को निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक 18.03.2015 तक एवं विभाग के समस्त परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता इन्दौर परिक्षेत्र के समस्त सिविल खण्डों से दिनांक 16.03.2015 तक क्रय किये जा सकते हैं। ठेकेदार यदि चाहे तो उसी कार्यालय में दिनांक 17.03.2015 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी ) सहित निविदा दर भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग्रुप क्रं	विवरण		ठेके की अनुमानित राशि (रु.लाख में)	बयाने की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी 'सी' एवं उच्च श्रेणी	कार्य की समयावधि
	ग्राम का नाम	विकास खण्ड					
1	दुलवा	खातेगाँव	1.65	3300.00	1000/-	तदैव	2 माह
2	लौंदिया जागीर	सोनकच्छ	1.99	3980.00	1000/-	तदैव	2 माह

**शर्त :-**

- (1) यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है एवं विस्तृत निविदा सूचना की भी समस्त शर्तें बंधनकारक होंगी ।
- (2) निविदा में अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने पर उपसचिव म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्रं 4152/ 2450/2012 /2 भोपाल दिनांक 27.8.2012 से जारी निर्देशानुसार यू.एस.ओ.आर से 10 प्रतिशत कम से भी अधिक नीचे दर प्राप्त होने पर अंतर की राशि की एफ.डी.आर. अनुबंध करने के पूर्व परफारमेंस राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा ।
- (3) यह संकर्म निविदा होगी अतः मध्यप्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम की धारा 35 (2) के अनुसार वर्क्स कांट्रैक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर की कटौती ठेकेदार के देयकों से की जाएगी एवं प्रपत्र 32 में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।
- (4) खुदाई में अगर डिवाटरिंग की आवश्यकता हुई तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना होगा ।
- (5) ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान जिले के कलेक्टर द्वारा "रायल्टी भुगतान शेष नहीं" का प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरांत ही किया जाएगा ।

- (6) सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (The Building and Other Construction) के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौति की जाएगी । कर्मकार मण्डल एवं श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।
- (7) प्रस्तुत निविदा दरें 120 दिनों तक वैध रहेगी ।
- (8) सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि वह निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है ।
- (9) कार्य में लगने वाली समस्त सामग्री उचित गुणवत्ता की प्रयुक्त की जाना अनिवार्य है विभागीय रूप से सीमेंट प्रदाय की जाने की स्थिति में विभागीय प्रचलित दर से सामग्री सीमेंट की कीमत कम कर प्रतिशत दर कम/अधिक देय होगा ।
- (10) दर अनुसूचि में उल्लेखित कार्य से वास्तविक क्रियान्वयन के समय कार्य की गुणवत्ता में स्पेशिफिकेशन की तुलना में कमी पाई जाने पर दर विश्लेषण कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत दर पर ही भुगतान किया जावेगा ।
- (11) पाईप लाईन कार्य हेतु पाईप विभाग के उपखण्डीय स्टोर से निशुल्क प्रदाय किया जावेगा ।
- (12) कार्य सन्तोषप्रद होने, आबंटन उपलब्ध होने पर ही किये गये कार्य का भुगतान किया जावेगा ।
- (13) निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कोरे निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किये जावेंगे ।
  - (अ) निविदाकार आयकर विभाग में परमानेन्ट लेखा नंबर (PAN) तथा वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन (TIN) के पत्र ।
  - (ब) निविदा प्रस्तुत करते समय अर्नेस्टमनी (धरोहर राशि) निर्माण विभाग के मेन्युअल भाग-1 के पैरा 2.079 में उल्लेखित किसी भी मान्य स्वरूप में जो कि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड देवास के पक्ष में बंधनकारक हो, स्वीकार की जावेंगी ।
- (14) पाईप लाईन का टेस्टिंग संतोषप्रद होने पर ही किये गये कार्यों का अंतिम भुगतान किया जा सकेंगा टेस्टिंग के दौरान पाये गये दोष ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर ठीक करना होगा । रनिंग बिल से 10 प्रतिशत टेस्टिंग हेतु अलग से राशि काटी जावेंगी ।
- (15) पाईप लाईन खुदाई के दौरान टेलीफोन लाईन पुरानी पाईप लाईन की क्षति होती हैं तो ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय से मरम्मत कराना होगी
- (16) विस्तृत निविदा सूचना को विभागीय वेब साईट [www.mpphed.gov.in](http://www.mpphed.gov.in) पर देखी जा सकती है ।

कार्यपालन यंत्री,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड देवास  
देवास, दिनांक 02.03.2015

पृ.क्र./ 507 / वलेलि./ काय./ लोस्वायां./ 2015

**प्रतिलिपि:-**

- (1) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर/ जबलपुर ।
- (2) अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, उज्जैन मण्डल उज्जैन/ इन्दौर मण्डल इन्दौर ।
- (3) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड शाजापुर/ उज्जैन/ खरगोन/  
रतलाम/ झाबुआ/ मन्दसौर/ धार/ राजगढ़/ नीमच/ बडवानी/ खण्डवा / अलीराजपुर ।
- (4) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) तथा जल संसाधन विभाग देवास ।
- (5) सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उपखण्ड देवास/ बागली/ कन्नौद ।
- (6) मध्यप्रदेश शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन - 32, सुन्दर नगर, पिपलानी बी.एच.ई.एल. भोपाल म.प्र. ।
- (7) मध्यप्रदेश ठेकेदार संघ 301 उषा नगर इन्दौर
- (8) नोटिस बोर्ड ।

कार्यपालन यंत्री,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड देवास